

# परिवार कल्याण इन्डीमिनिटि योजना

As on Report November, 2016

1	योजना का नाम	परिवार कल्याण इन्डीमिनिटि योजना नसंबंदी ऑपरेशन उपरान्त मृत्यु नसंबंदी असफल एवं जटिलता होने पर इन्डीमिनिटि योजना के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति राशि
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नसंबंदी ऑपरेशन के दौरान होने वाली मृत्यु (D.O.T) या अस्पताल से डिसचार्ज के 7 दिनों के अन्दर होली मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये।</li> <li>2. नसंबंदी ऑपरेशन से 30 दिन की अवधी में मृत्यु पर 50,000 रुपये</li> <li>3. असफल नसंबंदी पर 30,000 रुपये</li> <li>4. जटिलता पर इलाज हेतु अधिकतम 25,000 रुपये</li> </ol>
3	प्रारम्भहोने का वर्ष	29 नवम्बर 2005 से 31.12.07 तक ऑरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से एवं 01.01.2008 से 31.03.2013 आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से एवं 01.04.2013 से राज्य सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही है।
4	लाभान्वित वर्ग	राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं पंजीकृत निजी चिकित्सालयों/ एनजीओ द्वारा नसबन्दी ऑपरेशन कराने वाले सभी केसेज।
5	पात्रता	नसंबंदी में मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को तथा नसंबंदी असफल होने पर ऑपरेशन करवाने वाले व्यक्ति को।
6	योजना मे देय क्षतिपूर्ति राशि	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नसंबंदी ऑपरेशन के दौरान होने वाली मृत्यु (D.O.T) या अस्पताल से डिसचार्ज के 7 दिनों के अन्दर होली मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये।</li> <li>2. नसंबंदी ऑपरेशन से 30 दिन की अवधी में मृत्यु पर 50,000 रुपये</li> <li>3. असफल नसंबंदी पर 30,000 रुपये</li> <li>4. जटिलता पर इलाज हेतु अधिकतम 25,000 रुपये</li> </ol>
7	आवेदन का तरीका	नसंबंदी से मृत्यु / जटिलता / असफलता होने पर प्रार्थी जिले के अति०/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) को आवेदल करेगा एवं अति/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक पूर्ति कर जिले में गठित जिला स्तरीय क्वालिटी इन्श्योरेन्स उप समिति से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर क्लेम फार्म को राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी, राज्य स्तरीय उप समिति की सहमति के पश्चात क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति/ अति०/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) से कराया जावेगा।
8	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित जिले के अति० उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) को।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	नसंबंदी प्रमाण पत्र, मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र असफलता की स्थिति में यूरीन प्रेगनेंसी रिपोर्ट /यू.एस.जी. रिपोर्ट / एम.टी.पी. रिपोर्ट /फीजिकल जांच रिपोर्ट/ बच्चे का जन्म प्रमाण -पत्र।
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिले के अति० /उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)